FINANCIAL ASSISTANCE SECTION (FAS)

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(GOVERNMENT OF NCT OF DELHI)

1st Floor Maharana Pratap ISBT Building, Kashmiri Gate, DELHI – 06

No.F.40(02)/DWCD/FAS/VIP/P.F.-I/2021-22/ 25092-25100 **Dated:** 01 FEB 2022

ORDER

All District Officers are hereby directed to adhere to the notification under Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Govt. of NCT of Delhi notified vide no. F.No.40(19)/DWCD/FAS/DBT/ 2018-19/ 21900-10 dated 28th December 2021 in r/o Scheme of Delhi Pension Scheme to Women in Distress and notified vide no. F.No.40(19)/DWCD/FAS/DBT/2018-19 dated 28th December 2021 in r/o scheme of Financial Assistance for Marriage of Daughters of Poor Widows and Orphan Girls. Both the notification published in Delhi Gazette Extraordinary on 20.01.2022 and the same are being enclosed herewith for strict compliance.

R Singh

(Dr.Rashmi Singh), I.A.S
Special Secretary cum Director
(Deptt. of Women & Child Development)
Govt. of NCT of Delhi

Copy to:

1. OSD to Hon'ble Minister, Office of the Hon'ble Minister, DWCD, Govt. of NCT of Delhi-110054
2. OSD to Pr. Secretary, DWCD, GLNS Complex, Delhi Gate, Delhi-110002
3. Joint Director (Planning/DBT), GNCTD, 4th & 6th Level, B-Wing, Delhi Secretariat, I.P Estate, New Delhi-110002.
4. PS to Director, DWCD, GNCTD, Kashmere Gate, Delhi-110006
5. Joint Director (Planning), DWCD, GNCTD, Kashmere Gate, Delhi-110006
6. DCA, DWCD, GNCTD, Kashmere Gate, Delhi-110006
7. SSA (Nodal Officer DBT), DWCD, GNCTD, Kashmere Gate, Delhi-110006
8. All the District officers, WCD, GNCTD for necessary action.
9. System Ananlist, DWCD to upload these notifications on DWCD website.

R Singh

(Dr.Rashmi Singh), I.A.S
Special Secretary cum Director
(Deptt. of Women & Child Development)
Govt. of NCT of Delhi

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21012022-232806
SG-DL-E-21012022-232806

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 20, 2022/पौष 30, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 380
No. 31]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 2022/PAUSHA 30, 1943	[N. C. T. D. No. 380

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

फा. सं. 40(19)/डीडब्ल्यूसीडी/एफएएस/डीबीटी/2018–19.—जबकि, सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, उसमें पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करके एक सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे अपने अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है ;

और जबकि, महिला एवं बाल विकास विभाग (इसके बाद विभाग के रूप में संदर्भित), गरीब विधवाओं की बेटियों (दो तक) और अनाथ लड़कियों के विवाह में शामिल खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तिय सहायता योजना (इसके बाद योजना के रूप में संदर्भित) को क्रियान्वित कर रहा है ;

और जबकि, योजना के अन्तर्गत 30,000/– रूपये का एक मुश्त भुगतान, (इसके बाद लाभ के रूप में संदर्भित) गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों (दो तक) और अभिभावक जिसमें अनाथ लड़की या अनाथ लड़की के विवाह के लिए गृह/संस्था या पालक माता–पिता शामिल हैं को विवाह में शामिल खर्चों को पूरा करने के लिए लाभार्थियों (इसके बाद लाभार्थियों के रूप में संदर्भित) को वित्तिय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है ;

और जबकि, पूर्वोक्त योजना में राज्य के साथ–साथ भारत की संचित निधि से किए गए आवर्ती व्यय शामिल हैं;

162/C

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:–

1. (1) योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को इसके द्वारा आधार संख्या के होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा।

(2) योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते कि वह प्राप्त करने की हकदार हो उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार, और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जाएंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से, उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और यदि कोई आधार नहीं है संबंधित इलाके में स्थित नामांकन केंद्र, विभाग अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय में या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

बशर्ते कि जब तक व्यक्ति को आधार आवंटित नहीं किया जाता है, तब तक इस योजना के अन्तर्गत लाभ ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा, जो निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन होगा, अर्थात्: –

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; तथा

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्: –

(i) फोटो के साथ बैंक या डाकघर पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) मनरेगा कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या

(ix) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र; या

(x) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

बशर्ते कि उक्त दस्तावेजों की जांच उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

2. योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को सुविधापूर्वक लाभ प्रदान करने के लिए विभाग अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से सभी आवश्यक प्रबंध करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त आवश्यकता के बारे में लाभार्थियों को मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

3. सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित सुधारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्: –

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैन या चेहरे प्रमाणीकरण सुविधा को प्रमाणीकरण के लिए अपनाया जाएगा, निर्बाध तरीके से लाभों के वितरण के लिए विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैनर या फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के साथ चेहरे प्रमाणीकरण के लिए प्रावधान करेगा ;

(ख) यदि फिंगरप्रिंट या एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैन या फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है, जहां भी संभव और ग्राह्य हो वन–टाइम पासवर्ड या समय–आधारित पासवर्ड सीमित समय की वैधता के साथ जैसा भी मामला हो आधार द्वारा प्रमाणीकरण स्वीकार्य किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय–आधारित वन–टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के अन्तर्गत लाभ भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिया जा सकता है जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित क्वीक रिसपांस (त्वरित प्रतिक्रिया) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और क्वीक रिसपांस (त्वरित प्रतिक्रिया)

1611C

कोड रीडर की अनिवार्य व्यवस्था विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अन्तर्गत कोई भी वास्तविक लाभार्थी अपने देय लाभों से वंचित न रहे , इसके लिए विभाग अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से डीबीटी मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन में यथा उल्लिखित अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

रश्मि सिंह, विशेष सचिव सह निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 28th December, 2021

F. No. 40(19)/DWCD/FAS/DBT/2018-19.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the **Department of Women & Child Development** (hereinafter referred to as the Department), is administering the **Scheme of Financial Assistance for the Marriage of Daughters of Poor Widows and Orphan Girls** (hereinafter referred to as the scheme) **to meet the expenses involved in solemnizing the marriage of their daughters (up to two);**

And whereas, under the scheme, **financial assistance of Rs. 30,000/- one time payment is remitted to the beneficiaries** (hereinafter referred to as the benefit) is given to the **poor widows to meet the expenses involved in solemnizing the marriage of their daughters (up to two) and to provide financial assistance to guardian including Homes/Institution or Foster Parents of an Orphan Girl or Orphan Girl for her marriage.** (Hereinafter referred to as the beneficiaries);

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India as well as State;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the **Government of NCT of Delhi** hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its District Offices, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective locality, the Department through its District Offices shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) If she has enrolled, her Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA Card; or
(vii) Kisan Photo Passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
(x) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its district offices shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanism shall be adopted, namely:-

(a) In case of poor fingerprint quality, Integrated Risk Information System scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for Integrated Risk Information System scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) In case the biometric authentication through fingerprints or Integrated Risk Information System can or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its district offices shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RASHMI SINGH, Special Secy.-cum-Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.01.21 21:08:10 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21012022-232810
SG-DL-E-21012022-232810

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 20, 2022/पौष 30, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 381
No. 32]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 2022/PAUSHA 30, 1943	[N. C. T. D. No. 381

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

फा. सं. 40(19)/डीडब्ल्यूसीडी/एफएएस/डीबीटी/2018–19/21900-10.—जबकि, सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, उसमें पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करके एक सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे अपने अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है ;

और जबकि, महिला एवं बाल विकास विभाग (इसके बाद विभाग के रूप में संदर्भित), विधवाओं, तलाकशुदा, अलग/निराश्रित या परित्यक्त महिलाओं जिन के पास निर्वाह के पर्याप्त साधन नहीं हैं और वे 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में गरीब, जरूरतमंद और कमजोर हैं की सहायता के लिए दिल्ली पेंशन योजना (इसके बाद योजना के रूप में संदर्भित) को क्रियान्वित कर रहा है ;

और जबकि, योजना के अन्तर्गत 2,500/– रूपये प्रति माह की वित्तीय सहायता उन विधवाओं, तलाकशुदा, अलग/निराश्रित या परित्यक्त महिलाओं को दी जाती है, जिनके पास निर्वाह के पर्याप्त साधन नहीं हैं और वे 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में गरीब, जरूरतमंद और कमजोर हैं (इसके बाद लाभार्थियों के रूप में संदर्भित);

और जबकि, पूर्वोक्त योजना में राज्य के साथ–साथ भारत की संचित निधि से किए गए आवर्ती व्यय शामिल हैं;

158/C

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:–

(1) योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को इसके द्वारा आधार संख्या के होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा।

(2) योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते कि वह प्राप्त करने की हकदार हो उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार, और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जाएंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से, उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और यदि कोई आधार नहीं है संबंधित इलाके में स्थित नामांकन केंद्र, विभाग अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय में या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

बशर्ते कि जब तक व्यक्ति को आधार आवंटित नहीं किया जाता है, तब तक इस योजना के अन्तर्गत लाभ ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा, जो निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन होगा, अर्थात्: –

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; तथा

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्: –

(i) फोटो के साथ बैंक या डाकघर पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) मनरेगा कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या

(ix) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र; या

(x) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

बशर्ते कि उक्त दस्तावेजों की जांच उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

2. योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को सुविधापूर्वक लाभ प्रदान करने के लिए विभाग अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से सभी आवश्यक प्रबंध करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त आवश्यकता के बारे में लाभार्थियों को मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

3. सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित सुधारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्: –

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैन या चेहरे प्रमाणीकरण सुविधा को प्रमाणीकरण के लिए अपनाया जाएगा, निर्बाध तरीके से लाभों के वितरण के लिए विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैनर या फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के साथ चेहरे प्रमाणीकरण के लिए प्रावधान करेगा ;

(ख) यदि फिंगरप्रिंट या एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैन या फेस प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है, जहां भी संभव और ग्राह्य हो वन–टाइम पासवर्ड या समय–आधारित पासवर्ड सीमित समय की वैधता के साथ जैसा भी मामला हो आधार द्वारा प्रमाणीकरण स्वीकार्य किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय–आधारित वन–टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के अन्तर्गत लाभ भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिया जा सकता है जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर

1571C

मुदित क्वीक रिसपांस (त्वरित प्रतिक्रिया) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और क्वीक रिसपांस (त्वरित प्रतिक्रिया) कोड रीडर की अनिवार्य व्यवस्था विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अन्तर्गत कोई भी वास्तविक लाभार्थी अपने देय लाभों से वंचित न रहे , इसके लिए विभाग अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से डीबीटी मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन में यथा उल्लिखित अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

रश्मि सिंह, विशेष सचिव सह निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 28th December, 2021

F. No. 40(19)/DWCD/FAS/DBT/2018-19/21900-10.—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the **Department of Women & Child Development** (hereinafter referred to as the Department), is administering the **Delhi Pension Scheme to Women in Distress** (hereinafter referred to as the scheme) **for assistance to the widows, divorced, separated/destitute or abandoned women who have no adequate means of subsistence and are poor, needy and vulnerable in the age group of 18 years and above;**

And whereas, under the scheme, **financial assistance of Rs. 2500/- per month is remitted to the beneficiaries** (hereinafter referred to as the benefit) is given to the **widows, divorced, separated/destitute or abandoned women who have no adequate means of subsistence and are poor, needy and vulnerable in the age group of 18 years and above** (hereinafter referred to as the beneficiaries);

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India as well as State;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the **Government of NCT of Delhi** hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the department through its District Offices, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective locality, the Department through its District Offices shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:—

(a) If she has enrolled, her Aadhaar Enrolment Identification slip; and
(b) Any one of the following documents, namely :—
    (i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
    (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA Card; or
(vii) Kisan Photo Passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
(x) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its district offices shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanism shall be adopted, namely:—

(a) In case of poor fingerprint quality, Integrated Risk Information System scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for Integrated Risk Information System scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) In case the biometric authentication through fingerprints or Integrated Risk Information System scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its district offices shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RASHMI SINGH, Spe. Secy.-cum-Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.01.21 20:53:47 +05'30'